UPCH010026452024

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–77 / 2024

वीर बहादुर सिंह उम्र लगभग 70 वर्ष पुत्र स्व0 केदारनाथ सिंह निवासी तौरा थाना पहाडी जनपद चित्रकूट .....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश
2. विमला द्रेवी उम्र लगभग 52 वर्ष पत्नी छोटेलाल निवासी ग्राम छेछरिया बुजुर्ग थाना कर्वी पोस्ट रगौली जिला चित्रकूट। .....विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण विद्वान अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा परिवाद संख्या– 363 / 2022 बीर बहादुर बनाम विमला देवी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट में पारित आदेश दिनॉकित 31.07.2024 में पारित आदेश दिनॉकित 23.10.2024 के विरूद्ध संस्थित किया गया है जिसके द्वारा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद को निरस्त कर दिया है।

2. प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को उद्भूत करने वाले तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 (नई धारा 175 (3) बी0एन0एस0एस0) इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी ने वर्ष 2014 में पूर्व माध्यमिक विद्यालय छेछरिहा बुजुर्ग ब्लाक पहाडी, कर्वी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत था। विपक्षी भी विद्यालय में रसोईया के पद पर कार्य कर रही थी। विपक्षी ने प्रार्थी के कार्यकाल के दौरान माह अक्टूबर 2014 में प्रार्थी से भैंस खरीदने एवं मकान बनाने के लिए मु0 23500 / –रूपये लिया था। विपक्षी ने प्रार्थी से लिए गये रूपयों में से मु0 11000 / –रूपये वापस कर दिया और शेष रकम 12500 / –रूपये वापस करने का वायदा किया लेकिन शेष रकम नहीं लौटायी। प्रार्थी ने विपक्षी से माह जनवरी 2020 में पनी शेष रकम मॉगने गया तो उसने शेष रकम वापस नहीं किया तब उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को दिनॉक 27.07.2020 को लिखित नोटिस भेजा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब उसने शिकायती प्रार्थनापत्र जरिये पंजीकृत डाक पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को भेजा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी, अतः अभियुक्ता को तलब किये जाने की याचना की गयी है।

3. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 16.02. 2022 द्वारा प्रार्थनापत्र धारा 156(3)दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने

Digitally signed by SHESH MANI SHUKLA
Date: 2026.04.03 17:32:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हेतु आदिष्ट किया गया, उसके उपरान्त परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 व साक्षी जय शंकर प्रसाद व नरेन्द्र प्रसाद के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किये गये। उभयपक्ष को श्रवण करने के उपरान्त आलोच्य आदेश दिनॉकित 31.07.2024 के द्वारा परिवाद को निरस्त कर दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संस्थित की गयी है।

4. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण याचिका में यह आधार लिये गये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष के मध्य पैसे के लेनदेन का विवाद होने के कारण मामला सिविल प्रकृति का मानते हुए परिवाद को निरस्त किया है। परिवादी के बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 व साक्षीगण के बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत साक्ष्य का विधिवत अध्य्यन नहीं किया गया है तथा विधि के प्राविधानों के विपरीत आदेश पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश में गाली देने के तथ्य को माना है, इसके बावजूद भी तलबी आदेश पारित नहीं किया है। परिवादी के साक्षीगण ने अलग अलग तथ्यों को स्पष्ट करते हुए परिवादी के कथनों का समर्थन किया है, ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

6. परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में यह कथन किया है कि उसने माह अक्टूबर 2014 को विमला देवी को भैंस खरीदने व मकान बनवाने के लिए 23,500/–रूपये उधार दिये थे। उस समय वह प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत था तथा विपक्षी रसोइया थी तो उसने विश्वास करके धनराशि उधार दिया था। विपक्षी ने उसका 11000/–रूपये वापस लौटा दिया था तथा शेष रकम बाद में देने के लिए कहा। उसने कई बार पैसा मॉगा तो पैसा नहीं लौटाया। उसने दिनॉक 27.07.2000 को नोटिस भेजी लेकिन विपक्षी ने पैसा नहीं दिया। इसके बाद जब वह विपक्षी के पास गया तो उसने उसे झूठे मुकदमें में फॅसाने की धमकी दी तथा भद्दी भद्दी गालियॉ दी।

7. परिवादी साक्षी पी0डब्लू0–1 जयशंकर प्रसाद ने अपने बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि बीर सिंह ने बैंक से पैसा निकालकर उसके सामने विमला को पैसे दिये थे। फिर लगभग चार वर्ष बाद बजरंगबली के पास उसकी वीर सिंह से मुलाकात हुई, उसके कहने पर उसके साथ दोपहर लगभग 2 बजे विमला के घर गये। वीर सिंह ने पैसे मॉगे तो विमला ने गाली दिया, फिर हम वहॉ से चले आये। इसी प्रकार पी0डब्लू0–2 नरेन्द्र प्रसाद ने अपने बयान धारा 202

दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि अक्टूबर 2014 में वीर बहादुर सिंह ने 23,500/–रूपये विमला को उसके सामने दिया था, वह उस समय तुलसी ग्रामीण बैंक के सामने ही था। बाद में वर्ष 2016–2017 में वीर बहादुर सिंह ने बताया कि विमला उन्हें पैसा नहीं लौटा रही है।

8. विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश दिनॉक 31.07.2024 में यह कहा है कि पी0डब्लू0–1 द्वारा पैसे के लेनदेन को पुष्ट किया गया है किन्तु विपक्षी द्वारा महज गाली देने का कथन किया गया है। पी0डब्लू0–2 द्वारा महज पैसे के लेनदेन उसके समक्ष होने का कथन किया गया है और किसी प्रकार की गाली गलौज व धमकी देने का कथन नहीं किया है। उक्त बयानों के अवलोकन से यह प्रदर्शित होता है कि उभयपक्ष के मध्य में पैसे लेनदेन का विवाद है जो सिविल प्रकृति का है तथा इस विवाद को फौजदारी का रूप देकर मुकदमा दाखिल किया जाना दर्शित होता है।

9. परिवादी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब उनके द्वारा कई बार पैसा मॉगा गया तो पैसा नहीं लौटाया, इस संबंध में विमला को नोटिस दिनॉक 27.07.2020 को भेजी तो भी उसने पैसा नहीं दिया और जब वह विपक्षी के पास गया तो उसने उसे झूठे मुकदमें में फॅसाने की धमकी देते हुए भद्दी भद्दी गालियॉ दीं। पी0डब्लू0–1 ने भी अपने बयानों में यह कहा है कि बीर सिंह के कहने पर वह उनके साथ दोपहर लगभग 2 बजे विमला के घर गये। बीर सिंह ने पैसे मॉगे तो विमला ने गाली दिया, फिर हम वहॉ से चले आये। पी0डब्लू0–2 ने केवल इस तथ्य की पुष्टि की है कि बीर सिंह ने 23,500/–रूपये विमला को उसके सामने दिया था, बाद में वीर बहादुर सिंह ने बताया कि विमला उन्हें पैसा नहीं लौटा रही है। इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–2 के बयान से स्पष्ट है कि पैसा न लौटाने के संबंध में जो साक्षी ने बयान दिया है, वह परिवादी के बताने के आधार पर कहा है। यह साक्षी मौके पर उपस्थित नहीं था जब पैसा मॉगने पर गाली गुप्ता व धमकी की बात कही गयी है। परिवादी के कथन का समर्थन पी0डब्लू0–1 ने किया है जो बीर सिंह के साथ में उपस्थित था। इस प्रकार परिवादी व साक्षी पी0डब्लू0–1 के बयानों से यह तथ्य प्रथम दृष्ट्या साबित है कि परिवादी द्वारा विमला देवी को पैसा दिया गया था जिसमें से उसने 11000/–रूपये वापस कर दिया था, शेष 12,500/–रूपये बकाया थे जिसके मॉगने पर पैसा वापस नहीं किया अपितु गाली गलौज व धमकी दी गयी।

10. यहॉ इस तथ्य का उल्लेख करना समीचीन होगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 के अन्तर्गत परिवाद प्रकरण पर अभियुक्त को आहूत किये जाने के

लिए केवल यह देखना होता है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध बन रहा है। इस क्रम पर न्यायालय द्वारा साक्ष्य की उस रूप में गहन संवीक्षा किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है जो अन्तिम विचारण के क्रम पर किये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रस्तुत परिवाद/ प्रार्थनापत्र में धारा406 भा0दं0सं0 का भी उल्लेख किया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा यह पाया गया कि पैसे का लेनदेन हुआ है परन्तु उनके द्वारा स्पष्ट अभिमत नहीं व्यक्त किया गया कि धारा 406 भा0दं0सं0 का अपराध किस प्रकार से नहीं बन रहा है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनॉकित 31.07.2024 को पारित करने में विधिक एवं क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित की गयी है। तद्नुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनॉकित 31.07.2024 कायम रखे जाने योग्य नहीं है एवं पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण सं0–77/2024 वीर बहादुर सिंह प्रति राज्य एवं अन्य स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनॉकित 31.07.2024 एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करके पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय में दिये गये संप्रेक्षण के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षगण विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनॉक 29.04.2026 को पेश हो। निर्णय की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ अविलम्ब वापस भेजी जाये।

दिनॉक–03.04.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश
चित्रकूट।
आई0डी0–यू.पी.5751

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनॉकित एवं हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

दिनॉक–03.04.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश
चित्रकूट।
आई0डी0–यू.पी.5751